प्रेषक

अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार ।

प्रेषित

सभी कार्यालयाध्यक्ष,
जिला हिसार।

कमांक / 198 / दिनांक 15-04-2020

विषयः कोरोना वायरस (Covid-19) के फैलने के कारण लॉकडाउन के दौरान गतिविधि पास (Movement Pass) की अवधि बढाने बारे।

—

उपरोक्त विषय के तहत, जैसा कि आपको विदित है कि विश्व स्वास्थ्य सगंठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। उक्त महामारी से बचाव हेतू केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। जिला हिसार में आवश्यक सेवाएं जारी रखने हेतू, जिलाधीश महोदया, हिसार के आदेशानुसार, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक गतिविधि हेतू दिनांक 14-04-2020 तक की अवधि के Movement Pass जारी किए हैं।

वर्तमान समय में कोरोना वायरस की फैलाव की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 14-04-2020 को लॉकडाउन की अवधि दिनांक 03-05-2020 तक बढा दी गई हैं।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने सबंधित विभाग / कॉर्पोरेशन / बोर्ड की आवश्यक सेवाओं को मध्यनजर रखते हुए, जिलाधीश महोदया हिसार द्वारा जारी Movement Pass की अवधि, अपने स्तर पर दिनांक 03-05-2020 तक बढाना सुनिश्चित करें ताकि विभागों की आवश्यक सेवाएं बाधित न हो तथा अनावश्यक भीड को रोका जा सके।

अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार

पृष्ठांकन न0 199-200 दिनांक 15-04-2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः-

1. उपायुक्त महोदया, हिसार।
2. पुलिस अधीक्षक, हिसार।

अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार